न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा
बईलास श्रीमती पुष्पाहरवानी (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 101/14 दावा **निर्णय दिनांक 13.08.19**

बउनवान

1. राधेश्याम पुत्र बिरधीलाल जाति नाई निवासी देवली तहसील कनवास।

वादनी

बनाम

1. पुरूषोतम पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति नाई।
2. ओमप्रकाश पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति नाई निवासीगण देवली तहसील कनवास।
3. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय कनवास।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
वादी की ओर से एडवोकेट श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया।
प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 02 की ओर से एडवोकेट श्री रामेश्वदयाल गौत्तम
प्रतिवादी क्रम 03 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास।

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादनी द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आर0टी0एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी क्रम 01 व 02 के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त में ग्राम देवली के खाता संख्या 170 की खसरा नबंर 961 रकबा 0.01 है0, किस्म गै0मु0चाह, व खसरा नबंर 962 की रकबा 1.33 है0, किस्म चाही तृतीय कुल खसरा किता 02 की रकबा 1.34 है0, कृषि भूमि स्थित है।
उक्त आराजी में वादी 1/2 हिस्से का हकदार है तथा 1/2 हिस्से का प्रतिवादी नबंर 01 व 02 हकदार है। और आज तक इसी प्रकार काबिज काश्त करते आ रहे हैं।
यह कि वाद पत्र के साथ प्रस्तुत संलग्न नक्शे में 1/2 हिस्सा पूर्वी तरफ का वादी काश्त करता है, तथा 1/2 हिस्सा पश्चिमी तरफ का प्रतिवादी नबंर 01 व 02 काश्त करते है तथा संयुक्त रूप से गै0मु0चाह का उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। वादी व प्रतिवादी नबंर 01 व 02 अपनी आराजी में खसरा नबंर 963 की पश्चिमी मेड पर होकर खसरा नबंर 962 में आ जाते हैं। तथा वादी पूर्वी तरफ अपने हिस्से में आने के लिये 962 की दक्षिणी मेड पर होकर आता जाता रहा है।
यह कि कुछ समय पूर्व प्रतिवादी ने वादी के हिस्से में जाने वाले रास्ते में पत्थरों का कोट कर अपना 1/2 हिस्सा व वादी के 1/2 हिस्से के मध्य भी पत्थरों को कोट कर लिया तथा जब वादी ने प्रतिवादीगण से रास्ता उपलब्ध कराने को कहा तो वह तैयार नंही हुआ जिस पर वादी ने तहसील कनवास में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिस पर मौका रिपोर्ट मंगवाकर निर्माण कार्य बन्द करा दिया परन्तु प्रतिवादीगण के पिता रिटायर्ड भू.अभिलेख निरीक्ष हैं, जो पुनः संयुक्त खाता होने से विवाद कर सकते हैं। एसी स्थिति में वादी के लिये यह आवश्यक हो गया है िकवह संयुक्त खाते की आराजी में अपने 1/2 हिस्से को मुताबिक कब्जे काश्त पृथक कराकर पृथक खाता व लगान कायम करावें तथा अपने हिस्से में जाने के लिये रेकार्ड में रास्ता दर्ज करावें।
वादी द्वारा पुनः अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम देवली में स्थित खसरा नबंर 962 की रकबा 1.33 है0, आराजी के विभाजन की डिक्री

उपखण्ड अधिकारी

पारीत की जाकर मुताबिक कब्जे काश्त वादी के 1/2 हिस्से का पृथक खाता व लगान कायम किया जावे तथा 1/2 हिस्से में आने वाली भूमि पर नापकर कब्जा दिलाया जावे। तथा वादी के हिस्से में आने वाली भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता भी उपलब्ध कराया जावे। साथ ही इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा भी जारी की जावे कि प्रतिवादी खसरा नबंर 961 में गै0मु0चाह से सिंचाई करने से वादी को न रोके न बाधा उत्पन्न करें तथा रास्ते में भी अवरोध उत्पन्न न करें।

प्रस्तुत दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गई। प्रतिवादी क्रम 01 व 02 द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत हुये तथा उनकी ओर से एडवोकेट श्री रामेश्वर दयाल गौत्तम द्वारा वकालत नामा प्रस्तुत किया जो बाद शामिल पत्रावली किया गया।

वादी व प्रतिवादी क्रम 01 व 02 द्वारा जर्ये एडवोकेट दिनांक 30.07.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया, जिसमें निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी नबंर 01 व 02 के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी ग्राम देवली में खसरा नबंर 962 की 1.33 है0, चाही तृतीय व खसरा नबंर 961 की 0.01 हे0, गैरमुमकिन चाह स्थित है। जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा पूर्व दिशा में रहेगा तथा प्रतिवादी क्रम 01 व 02 का 2/3 हिस्सा पश्चिम दिशा में रहेगा तथा वादी के खेत पर आने जाने के लिये रास्ता खेत की दक्षिण वर्ती मेड के सहारे रहेगा जिससे वादी अपने खेत पर आ जा सकेगा, कुंऐ में पानी रहता है तो उससे सिंचाई करने में प्रतिवादीगण वादी को रूकावट नंही करेंगे।

उक्त राजीनामा वादी व प्रतिवादी क्रम 01 व 02 को पढकर सुनाया गया, दोनों पक्षकारों द्वारा राजीनामा सुना एवं सुनकर मुताबिक प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर दावा डिक्री किये जाने में अपनी सहमति दी गई। सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त दावे को डिक्री किये जाने में कोई राजहित प्रभावित नंही होता है।

राजीनामा बाद तस्दीकर कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में राजीनामा प्रस्तुत होने पर तनकी की आवश्यकता प्रतीत नंही होती है।

हमारे द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में अंकित तथ्यों, संलग्न दस्तावेजों एवं राजीनामे का गहनता पूर्वक अवलोकन किया गया, जिससे हम मुताबिक राजीनामे के आधार पर उक्त दावे को डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

अतः वादी का वाद मुताबिक राजीनामे के आधार पर स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वादी व प्रतिवादी नबंर 01 व 02 के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी ग्राम देवली में खसरा नबंर 962 की 1.33 है0, चाही तृतीय व खसरा नबंर 961 की 0.01 हे0, गैरमुमकिन चाह स्थित है। जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा पूर्व दिशा में रहेगा तथा प्रतिवादी क्रम 01 व 02 का 2/3 हिस्सा पश्चिम दिशा में रहेगा तथा वादी के खेत पर आने जाने के लिये रास्ता खेत की दक्षिण वर्ती मेड के सहारे रहेगा जिससे वादी अपने खेत पर आ जा सकेगा, वादी उक्त भूमि की सिंचाई हेतु कुंए का पानी का उपयोग करेगा एवं उससे सिंचाई करने में प्रतिवादीगण वादी को किसी भी प्रकार से रूकावट उत्पन्न नंही करेंगे। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पुष्पा हरबोला (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास** मुकाम **कनवास**

न्यायालय ब इजलास श्रीमती पुष्पा हरवानी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज.)

प्रकरण संख्या 101/14 दावा **निर्णय दिनांक 13.08.19**

बउनवान

1. राधेश्याम पुत्र बिरधीलाल जाति नाई निवासी देवली तहसील कनवास।

वादी

बनाम

1. पुरूषोतम पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति नाई।
2. ओमप्रकाश पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति नाई निवासीगण देवली तहसील कनवास।

3. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय कनवास।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
वादी की ओर से एडवोकेट श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया।
प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 02 की ओर से एडवोकेट श्री रामेश्वदयाल गौत्तम
प्रतिवादी क्रम 03 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास।

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नं. **101/14** सन **2014** तारीख फैसला **13.08.2019** **न्यायालय ब इजलास श्रीमती पुष्पा हरवानी उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा** यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** बहाजरी **नरेन्द्र कुमार कटारिया वादी** मिनजानिब मुदई व **प्रतिवादी नं. 1 लगायत 2 की ओर से एडवोकेट श्री रामेश्वरदयाल गौत्तम तथा राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास स्वयं** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री जारी की जाती है कि वादी का वाद मुताबिक राजीनामे के आधार पर स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वादी व प्रतिवादी नबंर 01 व 02 के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी ग्राम देवली में खसरा नबंर 962 की 1.33 है0, चाही तृतीय व खसरा नबंर 961 की 0.01 हे0, गैरमुमकिन चाह स्थित है। जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा पूर्व दिशा में रहेगा तथा प्रतिवादी क्रम 01 व 02 का 2/3 हिस्सा पश्चिम दिशा में रहेगा तथा वादी के खेत पर आने जाने के लिये रास्ता खेत की दक्षिण वर्ती मेड के सहारे रहेगा जिससे वादी अपने खेत पर आ जा सकेगा, वादी उक्त भूमि की सिंचाई हेतु कुंए का पानी का उपयोग करेगा एवं उससे सिंचाई करने में प्रतिवादीगण वादी को किसी भी प्रकार से रूकावट उत्पन्न नंही करेंगे।

इस हेतु तहसीलदार कनवास को तहरीर जारी हो। **तदनुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाती है।** नीज ... **X** ...मुबलिग .... **X** ...बाबत ... **X** ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... **X** ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... **X** ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **13.08.2019** माह **अगस्त 2019** को जारी की गई।

मोहर .....

पुष्पा हरवानी (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

मुदई		रूपया	पै.	मुदायलाह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	,,,,	----NIL----		स्टाम्प वकालतनामा	,,,,	----NIL----	
स्टाम्प वकालतनामा	,,,,			स्टाम्प अर्जी	,,,,		
स्टाम्प वजह सबूत	,,,,			महनताना वकील	,,,,		
महनताना वकील	,,,,			खर्चा गवाहान	,,,,		
खर्चा गवाहान	,,,,			फीस कमिश्नर	,,,,		
फीस कमिश्नर	,,,,			बाबत इजराय हुकमनामा	,,,,		
बाबत इजराय हुकमनामा	,,,,			मुतफर्रिक	,,,,		
मुतफर्रिक				मीजान	,,,,		
मीजान	,,,,						

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

पुष्पा हरवानी (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास